न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज
कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025024890
आवेदक का नाम :- समरजीत सिंह आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 02/05/2025
आदेश

प्रार्थी समरजीत सिंह, बृजेन्द्र सिंह पुत्रगण रामसिंह व श्रीमती मोहरदेई पत्नी रामसिंह व मिथलेश कुमार, योगेन्द्र कुमार पुत्रगण गया प्रसाद व महेन्द्र कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण केदारनाथ निवासीगण ग्राम काजीखेडा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या-00199 पर अंकित गाटा संख्या-188 रकबा-0.272हे. गाटा संख्या-189 रकबा-0.278हे. गाटा संख्या-190 रकबा-0.278हे. गाटा संख्या-191 रकबा-0.315हे. में से रकबा-0.280हे0, गाटा संख्या-192 रकबा-0.212हे. गाटा संख्या-193 रकबा-0.329हे. मालगुजारी स्थित ग्राम काजीखेडा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नही किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नही है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

वाद दर्ज कर नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/सरकार को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल की गयी है।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम काजीखेडा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-00199 की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-46222.00रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250038825 शुल्क 46222.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नही हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 09.04.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक समरजीत सिंह, बृजेन्द्र सिंह पुत्रगण रामसिंह व श्रीमती मोहरदेई पत्नी रामसिंह व मिथलेश कुमार, योगेन्द्र कुमार पुत्रगण गया प्रसाद व महेन्द्र कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण केदारनाथ निवासीगण ग्राम काजीखेडा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ के आराजी मौजा ग्राम काजीखेडा की खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या-00199 पर अंकित गाटा संख्या-188 रकबा-0.272हे. गाटा संख्या-189 रकबा-0.278हे. गाटा संख्या-190 रकबा-0.278हे. गाटा संख्या-191 रकबा-0.315हे. में से रकबा-0.280हे0, गाटा संख्या-192 रकबा-0.212हे. गाटा संख्या-193 रकबा-0.329हे. को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 09.04.2025 पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही

अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:
Ankit Shukla
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 02-05-2025 08:45:57 PM